जिला–सीतामढ़ी।
न्यायालयः– अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पुपरी।

पंजीयन सं0–212/2014
सामान्य पंजी संख्या–1214/2014
विचारण पंजी संख्या–393/2025

उपस्थितिः– विवेक कुमार,
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी,
पुपरी।

निर्णय, दिनांक– ....10वीं.... मार्च, 2026

सरकार द्वारा नीतु देवी, पति–विजय चौधरी, साकिन–गौड़ा, थाना–नानपुर, जिला–सीतामढी।
.....सूचिका।
बनाम्

01. विजय चौधरी, पिता–नथुनी चौधरी अनुमानित उम्र....28 वर्ष
02. नथुनी चौधरी, पिता–स्व0 रघुनन्दन चौधरी अनुमानित उम्र....69 वर्ष
दोनों साकिन–गौड़ा, थाना–नानपुर, जिला–सीतामढ़ी।.....अभियुक्तगण।

आरोप अंतर्गत धारा– 498A भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
अभियोजन की ओर सेः–विद्वान् अभि0पदा0 श्री उमेश कुमार
बचाव पक्ष की ओर सेः– श्री शिव कुमार ठाकुर, विद्वान् अधिवक्ता।

निर्णय

उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक–27.04.2016 को धारा–498A भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया–समझाया गया। अभियुक्त अपने को निर्दोष बताये तथा वाद विचारण का दावा किये।

02. संक्षेप में, अभियोजन वाद यह है कि अभियुक्त दिनांक 21.05.2013 को पूर्ण हिन्दू रीति रिवाज से सूचिका के पिता के घर ग्राम–गौड़ा–सिंघाचौड़ी, थाना–नानपुर, जिला–सीतामढ़ी पुत्र नथुनी चौधरी सूचिका के पति विजय चौधरी निवासी ग्राम–गौड़ा, थाना–नानपुर, जिला–सीतामढ़ी से विवाह संपन्न हुआ। सूचिका कुछ दिन तक अपने ससुराल में ठीक से रही उसके बाद सूचिका की सास मालती देवी ससुर नथुनी चौधरी पति विजय चौधरी एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे नहीं देने के कारण प्रताड़ित करते थे और मारपीट करते थे उसके बाद दिनांक 25.08.2014 को तीनों अभियुक्त मिलकर मारपीट किये और सूचिका को घर से भगा दिए। इसी आधार पर नानपुर थाना कांड संख्या–372/2014 अंकित हुआ।

न्यायालय अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सीतामढ़ी पुपरी

03. अनुसंधानोंपरांत् अनुसंधानकर्त्ता ने आरोप–पत्र न्यायालय में समर्पित किया तथा इस वाद में दिनांक 10.12.2015 को धारा–498A भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान् लिया गया। संज्ञानोंपरांत् अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण होने के पश्चात् अभियोग का सारांश सुनाया गया, तत्पश्चात् वाद साक्ष्य हेतु नियत रहा।

लगातार/–

04. साक्ष्योंपरांत् अभियुक्त का ब्यान धारा–313 दं. प्र. सं. के अंतर्गत अभिलिखित किया गया। अभियुक्त अपने को निर्दोष बताया तथा सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

05. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय विन्दू यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्ति–संगत संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही ?

मंतव्य

06. अभियोजन की ओर से अपने वाद के समर्थन में किसी भी साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं कराया गया है।

07. उभय पक्षों का बहस सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में आरोप–पत्र में छः साक्षियों का नाम अंकित है, लेकिन अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को न्यायालय में परीक्षीत नहीं कराया गया है। इस वाद में अनुसंधानकर्ता जैसे महत्वपूर्ण साक्षी परिक्षीत नहीं हुए हैं। जबकि अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक–25.05.2016 से दिनांक–27.11.2025 तक का पर्याप्त समय अनेकों तिथियॉ देकर प्रदान किया गया है।

इस तरह उपरोक्त विवेचनोंपरांत् यह न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभिुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति–संगत संदेहों से परे सिद्ध करने में पूर्णतया विफल रहा है। अतः अभियुक्त–01. विजय चौधरी 02. नथुनी चौधरी को धारा–498A भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। उन्हें तथा उनके जमानतदारों को भी बंध–पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अनुमंडल न्यायिक दंड़ाधिकारी,
पुपरी।
10 .03.2026.

न्यायालय अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सीतामढ़ी पुपरी

अनुमंडल न्यायिक दंड़ाधिकारी,
पुपरी।
10 .03.2026